उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(नजारत शाखा)

–:: पुनः अल्पकालीन निविदा ::–

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार, रांची के द्वारा रामगढ़ जिला के परिसदन भवन को रख–रखाव एवं संचालन आउटर्सोसिंग के माध्यम से किये जाने के संबंध मे इच्छुक निविदादाताओं से दो लिफाफा प्रणाली के तहत् दर सहित मुहर बन्द निविदा दिनांक–16.08.2019 को 1:00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित किया जाता है। अतः इच्छुक निविदादाता दिनांक–16.08.2019 को 1:00 बजे अपराह्न तक जिला नजारत शाखा, रामगढ़ मे निविदा डाल सकते है। निविदा उसी तिथि को अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय मे 3:00 बजे अपराह्न में निविदादाताओं के या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी।

निविदा की शर्तें :–

तकनीकि एवं वित्तीय बीड अलग–अलग एक मुहरबंद लिफाफे के अन्दर होना चाहिए। तकनीकि बीड पहले खोला जाएगा। तकनीकि बीड में पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही वित्तीय बीड खोला जाएगा।

तकनीकि बीड की शर्तें :–

1. प्रत्येक निविदादाताओं को अपने निविदा के साथ उपायुक्त, रामगढ़ के पदनाम से 20000.00 (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट के रूप मे सुरक्षित राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
2. आवेदन पत्र के साथ GST निबंधन प्रमाण–पत्र तथा माह अप्रैल, 2019 का GSTR-3B संलग्न करना होगा।
3. निविदादाताओं को काली सूची मे दर्ज नही होने का शपथ पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत मूल प्रति में संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. निविदादाताओ को अद्यतन वर्ष 2018–19 का आयकर रिटर्न देना होगा।
5. निविदादाताओ को उपायुक्त द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र पिछले एक वर्ष के अन्दर का संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. निविदादाताओं को वित्तीय वर्ष 2018–19 का टर्न ओभर न्यूनतम् 20,00,000/– (बीस लाख) रूपये को होना अनिवार्य है। इसका Chartered Accountant स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाताओं को किसी संस्थान/प्रतिष्ठान से कैटरिंग/हाउस किपिंग का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

वित्तीय बीड की शर्तें :–

1. निविदादाताओं को रामगढ़ परिसदन में अतिथियों के लिए भोजन/नास्ता/ चाय–कॉफी आदि का मात्रा एवं दर Quote करना होगा।
2. निविदादाताओं को निम्नलिखित सेवाएँ देने के एवज में मासिक/वार्षिक राशि Quote करना होगा।

उक्त निविदा हेतु आवश्यक शर्त्त/सेवाएँ निम्नवत् है :-

1. आंतरिक साफ-सफाई जिसके अन्तर्गत कमरों प्रसाधन गृह, रसोईघर सहित पूरे परिसर की साफ-सफाई होगी।
2. परिसदन भवनों के लॉन, बगीचा आदि की साफ-सफाई एवं रख-रखाव एवं बगीचा में पेड़, फूल एवं घास आदि का रख-रखाव।
3. हाउस कीपिंग जिसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्य शामिल होंगे :-
   (क) परिसदन भवन में लगे इलेक्ट्रॉनिक, विघुतीय उपकरणों एवं जलापूर्त्ति का मरम्मति एवं रख-रखाव।
   (ख) परिसदन भवन में कमरों, बाथरूम एवं रसोईघर के फर्नीचर/उपस्कर आदि की मरम्मति एवं रख-रखाव।
   (ग) परिसदन भवन में ठहरे हुए अतिथियों के लिए प्रसाधन की वस्तुएँ यथा तेल, साबुन सैम्पु, तौलिया आदि की आपूर्त्ति (उच्च गुणवत्ता एवं ब्राण्डेड)।
   (घ) बेडशीट, मच्छरदानी, पर्दा, तकिया, तौलिया, बलैन्केट इत्यादि की आपूर्त्ति, सफाई एवं धुलाई कार्य।
4. निर्बाध विद्युत की व्यवस्था (जेनरेटर ईंधन/रख-रखाव सर्विसिंग कार्य सहित), विघुत विपत्र का भुगतान चयनित एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
5. अतिथियों के लिए चाय, नास्ता एवं भोजन आदि की निर्धारित दर पर व्यवस्था करना एवं भोजन पकाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना।
6. रसोई घर के साफ-सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। रसोई घर में रखे सामानों को ढंक कर रखा जाना है ताकि कीडे-मकोडे, चूहे, छिपकली से सुरक्षित रह सके। साथ ही रसोई घर में रखे फ्रिज, माईक्रोओभेजन की मरम्मति एवं रख-रखाव।
7. अतिथियों के खाना बनाने के बाद खाना को सुरक्षित रखना होगा ताकि किडे-मकोडे घुस न सके। परिसदन में कभी-कभी अधिक संख्या में अतिथियों का आगमन होने पर अलग से कैटरिंग की व्यवस्था करना होगा। आगंतुक अतिथियों को किसी प्रकार का असुविधा महसूस न हो इसका विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। रसोई घर में खाद्य सामग्री को अलग-अलग डिब्बे में सुरक्षित रखना होगा।
8. सफल निविदादाता को अपने कर्मियों को यूनीफार्म (ड्रेस) में रखना होगा।
9. परिसदन भवन से नास्ता/चाय आदि से होने वाली आय संचालन संस्था को दी जा सकेंगी।
10. गुणवता और स्वीकृत दर आपूर्त्ति के दौरान किसी प्रकार की हेरा-फेरी या त्रुटि पाये जाने पर फर्म तथा प्रोपराईटर दोनों को काली सूची में डालते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
11. अतिथि गृह कमरों का आरक्षण पूर्ववत् जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। किराए से प्राप्त राशि कोषागार मे जमा की जायेगी।
12. सभी प्रकार के कर का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
13. निविदा स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने या सम्पूर्ण निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

ह०/-
उपायुक्त,
रामगढ़।